"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 अप्रैल 2018 — चैत्र 12, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 27th February 2018

NOTIFICATION

No. 22 (Mis.)/II-15-19/2017. — Following amendment is Incorporated In Chhattisgarh High Court Services (Appointment, Conditions of Service and Conduct) Rules, 2017.

AMENDMENT

In Column No. 5, Serial Number 24 of First Schedule appended to said Rule, after "2, Private Secretaries", the word "Librarian" is inserted.

The amendment shall come into force w. e. f. the date of issuance of notification.

By order of Hon'ble the Chief Justice

Sd/-
(Gautam Chourdiya)
Registrar General.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.